भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या :1570

दिनांक 15 दिसम्बर, 2022/24 अग्रहायण,1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

आरसीएस- उड़ान की प्रगति

1570. श्री पी.सी.मोहन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) गत पांच वर्षों के दौरान उड़ान-क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस उड़ान) द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(**ख**) क्या यह योजना वर्ष 2026 तक सौ विमानपत्तनों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय पर चल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(**ग**) इस योजना के समक्ष आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और जनसाधारण के लिए विमान सेवा किफायती बनाने के लिए दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)- उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की। 30.11.2022 तक, 'उड़ान' योजना के अंतर्गत चौथे दौर की बोली प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, 453 मार्ग शुरू हो गए हैं, 02 वाटर एयरोड्रम और 09 हेलीपोर्ट सहित 70 हवाईअड्डे प्रचालनिक हो गए हैं। अब तक 2.15 लाख से अधिक 'उड़ान' फ्लाइटें प्रचालित हो चुकी हैं और 1.1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने 'उड़ान' फ्लाइटों का लाभ उठाया है। यह योजना किफायती हवाई किराए पर टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई संपर्कता प्रदान करने में सक्षम रही है और इसने लोगों के यात्रा करने के तरीके को बदल दिया है।

'उड़ान' योजना, इसकी अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। सरकार ने योजना की अवधि के दौरान 1000 'उड़ान' मार्गों को प्रचालनिक करने और 2024 तक 100 अपरिचालित और अल्पपरिचालित हवाईअड्डों/ हेलीपोर्ट्स/ वाटर एयरोड्रमों को बहाल/ विकसित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मौजूदा अपरिचालित /अल्पपरिचालित हवाईअड्डों /हवाई पट्टियों और सिविल एन्क्लेवों के पुनरुद्धार के लिए 4500 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), कार्यान्वयन एजेंसी, 'उड़ान' योजना के तहत अवॉर्ड किए गए हवाईअड्डों के पुनरुद्धार/विकास की प्रगति की निगरानी करती है और समय-समय पर हितधारकों के परामर्श से मंत्रालय द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

जब तक कि कार्यान्वयन एजेंसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोई समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है, 'उड़ान' योजना के तहत चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) के लिए लेटर ऑफ अवार्ड जारी होने से छह माह की अवधि के भीतर या हवाईअड्डा तैयार होने से दो माह के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी मार्ग पर फ्लाइट प्रचालन शुरू करना अनिवार्य है। इस प्रकार, एसएओ अपनी तत्परता और अवॉर्ड किए गए हवाईअड्डों की तैयारी के आधार पर 'उड़ान' योजना की फ्लाइटें शुरू करते हैं। हालाँकि, कुछ मार्गों के प्रचालन में देरी हुई है, और कुछ कारणों से मार्गों को बंद भी किया गया है:

i) कोविड-19 महामारी का प्रतिकूल प्रभाव

ii) सिविल हवाईअड्डों/हेलीपोर्टों की तैयारी न होना, जो भूमि की उपलब्धता, क्षेत्रीय अवसंरचना के निर्माण, विनियामक से लाइसेंस प्राप्त करने आदि से संबंधित हो सकता है।

iii) अवॉर्ड किए गए मार्गों पर प्रचालन की अस्थिरता।

iv) चयनित एयरलाइंस ऑपरेटरों (एसएओ) की तैयारी न होना।

****